भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4237
दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना

4237. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2026 तक राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत राज्य परिवर्तन संस्थानों (एसआईटी) की सफलतापूर्वक स्थापना करने वाले राज्यों और इन इकाइयों के लिए निधि के उपयोग का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गरीबी और ऊर्जा संकेतकों में तेजी से वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्यों में सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं को कम करना) में जड़त्व को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार वार्षिक आवंटन एसडीजी से जुड़े परिणामी बजट को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वार्षिक आवंटन एसडीजी इंडिया इंडेक्स में अभिनिर्धारित कमियों के सीधे आनुपातिक हो;

(घ) सामाजिक संकेतकों में ''डेटा-एक्शन लैग'' को रोकने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों को तत्समय, स्थानीयकृत आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जमीनी स्तर के लाभार्थियों के अनुभवों के साथ सरकारी कार्य-निष्पादन आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए राष्ट्रीय एसडीजी डैशबोर्ड पर ''सिटिज़न-फीडबैक लूप'' शुरू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) अब तक की स्थिति के अनुसार, राज्य परिवर्तन संस्थाओं (एसआईटी) की स्थापना या मौजूदा राज्य योजना विभागों/बोर्डों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सहायता मिशन के तहत कुल 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल किया गया है। निधि के उपयोग का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) जनजातीय बहुल राज्यों में असमानताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ किए गए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों (पीवीटीजी) के उत्थान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूरसंचार संपर्कता, विद्युतीकरण और स्थाई आजीविका जैसे क्षेत्रों में लक्षित समर्थन के माध्यम से पीवीटीजी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और 01 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है, जो पूर्व की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और "वोकल फॉर लोकल बाई ट्राइबल" पहल का संवर्धन करना है। यह स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के आसपास केंद्रित व्यवसायों का समर्थन करके लघु वन उत्पादों (एमएफपी) और गैर-एमएफपी सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने पर जोर देता है।

(ग) भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़े परिणामी बजट के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

(घ) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर सभी आकांक्षी ब्लॉकों की त्रैमासिक आधार पर निगरानी करता है। ये संकेतक स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सामाजिक विकास, और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सभी संकेतकों पर सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों

की प्रगति की निगरानी की जाती है और यह प्रदर्शन डेटा सार्वजनिक रूप से चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (https://abp.championsofchange.gov.in/) पर उपलब्ध है।

(ङ) सरकार एक संरचित और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एसडीजी की प्रगति पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा करती है जिसमें विविध जनसंख्या वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों के साथ किया गया परामर्श शामिल है।

अनुलग्नक

राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना के संबंध में दिनांक: 18.03.2026 को श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4237 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य परिवर्तन संस्थानों (एसआईटी) में उपयोग की गई निधि की स्थिति

(करोड़ रु.में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआईटी के नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत राशि	वित्त वर्ष 2023-24 में उपयोग की गई राशि	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत राशि	वित्त वर्ष 2024-25 में उपयोग की गई राशि	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत राशि	वित्त वर्ष 2025-26 में उपयोग की गई राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह परिवर्तन संस्था (एएनआईआईटी)	0	0	0	0	2.3	0
2	आंध्र प्रदेश	राज्य परिवर्तन संस्था - आंध्र प्रदेश (एसआईटीए-एपी)	0	0	1.61	0.85	1.64	2.02
3	असम	राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग (एसआईटीए)	1.37	0	0	0.12	0	0.01
4	बिहार	राज्य परिवर्तन आयोग - बिहार (एसटीसी)	0	0	1.99	0.73	1.33	1.59

5	चंडीगढ़	राज्य परिवर्तन संस्था - चंडीगढ़	0	0	1.96	0.001	0	0.41
6	छत्तीसगढ़	राज्य नीति आयोग - छत्तीसगढ़	1.72	0	0	0.26	0	0.02
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव राज्य परिवर्तन संस्था	0	0	1.68	0	0	0
8	दिल्ली	दिल्ली राज्य परिवर्तन संस्था	0	0	1.43	0	0	0
9	गोवा	गोवा भावी परिवर्तन संस्था (गिफ्ट)	0	0	0	0	2.08	0.01
10	गुजरात	गुजरात राज्य परिवर्तन संस्था (ग्रीट)	0	0	1.81	0.63	1.6	1.4
11	हरियाणा	हरियाणा राज्य परिवर्तन संस्था (एसटीसी)	0	0	0.78	0	0	0.69
12	हिमाचल प्रदेश	राज्य परिवर्तन प्रकोष्ठ (एसटीसी)	0	0	2.59	0	0	1.23
13	जम्मू और कश्मीर	शासकीय नवाचार और परिवर्तन केंद्र (सीआईटीएजी)	0	0	0	0	2.17	0

14	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटीके)	1.62	0	0	0	0	0
15	लद्दाख	योजना विभाग	0	0	0	0	2.15	0
16	लक्षद्वीप	योजना, सांख्यिकी और कराधान निदेशालय	0	0	1.61	0.06	0	0.48
17	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग (एमपीआरएनए)	0	0	0.62	0	0	0.12
18	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्था (एमआईटीआरए)	0	0	2.8	0.27	0	1.14
19	मेघालय	मेघालय राजकीय नवाचार प्रयोगशाला (जीआईएल)	0	0	3.78	1.13	0	2.65
20	मिज़ोरम	मिजोरम राज्य परिवर्तन संस्था, (एसआईटी-एम)	0	0	3.01	1.72	1.14	1.75
21	नागालैंड	नागालैंड परिवर्तन संस्था (एनआईओटी)	0	0	1.83	0	0	1.18
22	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी राज्य परिवर्तन संस्था	1.42	0	0	0.08	0	0.94
23	पंजाब	पंजाब विकास आयोग (पीडीसी)	0	0	0	0	1.05	0.38
24	राजस्थान	राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्था (आरआईटीआई)	0	0	2.59	0.45	0	0.7

25	सिक्किम	सिक्किम राज्य परिवर्तन संस्थान, (एसआईटी-एस)	1.62	0	0	0.35	0	0.26
26	तमिलनाडु	राज्य योजना आयोग	0	0	0.82	0	0.67	0.99
27	तेलंगाना	राज्य योजना विभाग	0	0	0	0	2.8	0
28	त्रिपुरा	त्रिपुरा परिवर्तन संस्था (टीआईएफटी)	1.62	0.01	0	1.15	2.97	0.77
29	उत्तर प्रदेश	राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी)	1.73	0	0	0.28	0	1.37
30	उत्तराखंड	उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण और परिवर्तन संस्था (एसईटीयू आयोग)	1.72	0.67	1.05	1.64	1.27	0.6
